लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 150वीं बैठक दिनांक 07 जून, 2013 का कार्यवृत्त

<u>उपस्थिति</u> :

01.	श्री संजीव सरन	अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
02.	श्री अष्टभुजा प्रसाद तिवारी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री अनुराग यादव	जिलाधिकारी, लखनऊ।
04.	श्री आर0के0 सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
05.	श्री एस0के0 ज़मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
06.	श्री पी0एन0 यादव	अनुसचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
07.	श्री अभय जायसवाल	अपर निदेशक, प्रतिनिधि-निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
08.	श्री के0पी0 मिश्र	संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
09.	श्री के0के0 श्रीवास्तव	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-मुख्य अभियंता, जल निगम, लखनऊ।
10.	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य वास्तुविद, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
11.	श्री आर0पी0 यादव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि-महानिदेशक, पयर्टन, उ0प्र0 लखनऊ।
12.	श्री विजय सिंह यादव	सदस्य, ल0वि0प्रा0
13.	श्री इसहाक गुड्डू	सदस्य, ल0वि0प्रा0
14.	श्रीमती मुन्नी पाल	सदस्य, ल0वि0प्रा0

<u>अन्य उपस्थिति</u> :

15.	श्रीमती सीमा सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
16.	डा0 मोहन यादव	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
17.	श्री आर0के0 शुक्ला	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
18.	श्री बृजराज सिंह यादव	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।
19.	श्री चन्द्रशेखर	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0।
20.	श्री रवि जैन	नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नवागन्तुक अध्यक्ष/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया, तत्पश्चात् उपस्थित सदस्यों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

<u>विषय संख्या : 1</u> — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31.08.2012 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

<u>निर्णय :</u> — प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

<u>विषय संख्या : 2</u> — गोमती नगर के विपिन खण्ड में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु 22931.748 वर्गमी0 भूमि के भू-उपयोग को ''पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी (पी-1)'' से ''सामुदायिक सुविधाएँ (संस्थागत)'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

<u>निर्णय :</u> — परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

<u>विषय संख्या : 3</u> — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 31.08.2012 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>निर्णय :</u> — प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

<u>विषय संख्या : 4</u> — वित्तीय वर्ष 2012-13 का पुनरीक्षित माह फरवरी, 2013 तक वास्तविक एवं वर्ष 2013-14 का अनुमानित आय-व्ययक।

<u>निर्णय :</u> — पूर्व में बैठक स्थगित होने के कारण वर्ष 2013-14 का अनुमानित आय-व्ययक परिचालन द्वारा पारित कराया गया, जिसकी पुष्टि हेतु अनुपूरक विषय संख्या-01 पर अलग से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

<u>विषय संख्या : 5</u>

'जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क' (गोमती नगर विस्तार योजना भाग-1ए) में अर्जन से छूटे खसरों की भूमि के भू-उपयोग का 'आवासीय' एवं महायोजना मार्ग ये 'पार्क, खुले स्थल/हरित पट्टी' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा 'जनेश्वर मिश्र लखनऊ पार्क' (गोमती नगर विस्तार योजना भाग-1ए) में अर्जन से छूटे खसरों की भूमि के भू-उपयोग को 'आवासीय/महायोजना मार्ग' से 'पार्क, खुले स्थल/हरित पट्टी' में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>विषय संख्या : 6</u>

श्री अनन्त राम व अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका सं0-2978(एम.बी.)/2001 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2011 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्ताव में यह उल्लिखित किया गया है कि आराजी संख्या-533 में प्राधिकरण द्वारा नियोजित भूखण्ड संख्या-5/157 पर कास्तकारों को भूमि समायोजित करने के पश्चात् 12 भूखण्ड, जिनका आवंटन विभिन्न आवंटियों को किया गया है, मुक्त हो जायेंगे। प्रस्ताव में इन आवंटियों में से अधिकांश की पत्रावलियाँ उपलब्ध न होने का वर्णन किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम इन आवंटियों की पत्रावलियों के गायब होने की पुष्टि करायी जाय तथा यह भी परीक्षण किया जाय कि पूर्व में इन आवंटियों को अन्यत्र समायोजित तो नहीं किया गया है? उपर्युक्तानुसार परीक्षणोपरान्त विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाये।

<u>विषय संख्या : 7</u>

लखनऊ महायोजना-2021 में 'पेरीफेरल क्षेत्रो' में जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्रों के अनुरूप निर्मित बहुमंजिला भवन/संस्थागत भवनों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में विचार।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रकरण को शासन के मार्गदर्शन हेतु संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 8

लखनऊ महायोजना-2021 में 'मनोरंजनात्मक' भू-उपयोग हेतु निर्धारित जोनिंग रेगुलेशन्स के प्रस्तावों में संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् उप समिति गठित के स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गयाः-

1. सचिव, ल0वि0प्रा0	-	अध्यक्ष
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि जो कि सहयुक्त नियोजक के स्तर से कम न हो	-	सदस्य
3. नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0	-	सदस्य/संयोजक

विषय संख्या : 9

प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विक्रान्त खण्ड-3 में फैजाबाद मुख्य मार्ग पर 12439.29 वर्गमीटर भूमि के भू-उपयोग को 'बस अड्डा, सह बजट होटल' के निर्माण हेतु ''आवासीय'' से ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विक्रान्त खण्ड-3 में फैजाबाद मुख्य मार्ग पर 12439.29 वर्गमीटर भूमि के भू-उपयोग को 'बस अड्डा, सह बजट होटल' के निर्माण हेतु ''आवासीय'' से ''यातायात एवं परिवहन, बस अड्डा'' में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 10

लखनऊ महायोजना-2001 के अन्तर्गत घोषित निर्मित एवं विकसित क्षेत्रों में एकल (Individual) भूखण्डों पर मानचित्र स्वीकृति हेतु तलपट मानचित्र स्वीकृति की बाध्यता को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा लखनऊ महायोजना-2001 के अन्तर्गत घोषित निर्मित एवं विकसित क्षेत्रों में एकल (Individual) भूखण्डों पर मानचित्र स्वीकृति हेतु तलपट मानचित्र स्वीकृति की बाध्यता को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न तकनीकी बिन्दुओं का गहन परीक्षण किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में निम्नवत् उप समिति का गठन किया गयाः-

1. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ0प्र0 - सदस्य
2. वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0 - सदस्य
3. मुख्य वास्तुविद एवं नियोजक, आ0वि0 परिषद - सदस्य
4. नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 - सदस्य/संयोजक

उपर्युक्त समिति की संस्तुति/आख्या के आधार पर तथ्यपरक प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 11

गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत सुल्तानपुर रोड पर ग्राम अहमामऊ में सुनियोजित विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 12

लखनऊ विकास प्राधिकरण में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के कार्य के लिए संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा लिए जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावानुसार भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित कार्यो हेतु यथा-आवश्यकता राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त उपसचिव/नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक/रजिस्ट्रार कानूनगो/पेशकार/लेखपाल/अमीन पद से सेवानिवृत्त अधिकतम 10 अधिकारी/कर्मचारियों की सेवायें संविदा कर्मी के रूप में दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक पूर्व की शर्तो पर संविदा के आधार पर रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा संविदा के आधार पर 01 सुयोग्य उद्यान अधिकारी रखे जाने की भी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 13

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि0, नई दिल्ली से तैयार कराये जा रहे डी0पी0आर0 की फीस के भुगतान के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.08.2008 में लिये गये निर्णयानुसार स्वीकृत रू0 2.4 करोड़ के भुगतान के अतिरिक्त कार्यहित में अवस्थापना निधि से किये गये रू0 70,48,800.00 के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति एवं

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि0, नई दिल्ली से तैयार कराये जा रहे डी0पी0आर0 हेतु निर्धारित अवशेष फीस तथा वैकल्पिक संरेखणों हेतु कराई जाने वाली फिजिबिलिटी स्टडी एवं तद्नुसार डी0पी0आर0 में प्रस्तावित संशोधन हेतु मांगी जाने वाली अतिरिक्त फीस का भुगतान प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>विषय संख्या : 14</u>

गोमतीनगर योजना के विवेक खण्ड मे गेल (इण्डिया) लि0 को आवंटित भूखण्ड सं0-4/255, 4/256 एवं 4/257 को इकजाई करते हुए उनके उपयोग को 'आवासीय' से 'कार्यालय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

<u>विषय संख्या : 15</u>

खसरा सं0-64, मौजा-खरगपुर फरीदी नगर, लखनऊ के भू-उपयोग ''पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी'' से ''आवासीय'' में किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में स्थल के भू-उपयोग के सम्बन्ध में जारी किये गये गलत प्रमाण-पत्र की जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>विषय संख्या : 16</u>

प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना के सेक्टर-एच में भाग-6 के पार्ट तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा यह मत स्थिर हुआ कि नियमानुसार पार्क के क्षेत्रफल में कमी किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अनुलग्नक-1 पर संलग्न मानचित्र में दर्शायी गयी मापों के दृष्टिगत आवंटित भूखण्डों के क्षेत्रफल में समानुपातिक कमी करते हुए समस्त आवंटियों से संशोधित भूखण्ड क्षेत्रफल पर सहमति प्राप्त कर पुनः भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जाये तथा ऐसे आवंटी, जो संशोधित क्षेत्रफल के भूखण्ड लेने हेतु सहमत न हो, उनकी जमा धनराशि नियमानुसार ब्याज सहित वापस कर दी जाय।

विषय संख्या : 17	गोमतीनगर योजना के विराम खण्ड के तलपट मानचित्र में आवासीय भूखण्ड सं0-4/446 से 4/449 तक को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
निर्णय :	प्रस्ताव विस्तृत परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।
विषय संख्या : 18	गोमतीनगर योजना के विक्रान्त खण्ड में "सामुदायिक सुविधाओं" उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्ड सं0-सी0एफ0-2 के उपयोग को "होटल" उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
विषय संख्या : 19	भूखण्ड सं0-2, रफी अहमद किदवाई नगर (एल्डिको ग्रीन) के भू-उपयोग को स्वीकृत तलपट मानचित्र में "पेट्रोल पम्प" से "व्यावसायिक" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा यह मत स्थिर हुआ कि यदि प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग पेट्रोल-पम्प से व्यावसायिक में परिवर्तित किया जाता है, तो स्थल पर यातायात की गम्भीर समस्या उत्पन्न होंगी। अतः सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
विषय संख्या : 20	प्राधिकरण की अलीगंज योजना के सेक्टर-ई में भूखण्ड संख्या-एच. आई.जी.-31 से संलग्न योजना के तलपट मानचित्र में 'शॉप्स' हेतु आरक्षित भूमि के भू-उपयोग को 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	'शॉप्स' हेतु आरक्षित भूमि के भू-उपयोग को 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने को औचित्यपूर्ण न होने के कारण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।
विषय संख्या : 21	कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी-1 (व्यावसायिक) डा0 राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान के निकट 30 मीटर चौड़ी जोनल मार्ग के चौराहा पर प्रस्तावित 2155 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के बस स्टाप भूमि को होटल उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना के

सेक्टर-डी-1 (व्यावसायिक) डा0 राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान के निकट 30 मीटर चौड़ी जोनल मार्ग के (चरन सिंह) चौराहा पर प्रस्तावित बस-टर्मिनल (क्षेत्रफल 2155 वर्ग मीटर) की भूमि को होटल उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60एलयूसी/96 दिनांक 13.10.98 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 22

लखनऊ-फैजाबाद रोड पर मे0 विराज कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 की इंटीग्रेटेड टाउनशिप ''बी0बी0डी0 ग्रीन सिटी'' के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-8 के लोकेशन परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

बैठक में जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय में उक्त टाउनशिप में सार्वजनिक स्थल अर्थात् तालाब इत्यादि के सम्बन्ध में योजित एक पी0आई0एल0 में मा0 न्यायालय द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर उनको जांच के निर्देश दिये है। अतः सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी, लखनऊ की जांच आख्या के अधीन प्रश्नगत लोकेशन परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि यदि प्रश्नगत स्थल (भूखण्ड संख्या-8) के सम्बन्ध में कोई विपरीत तथ्य नहीं प्राप्त होते है, तो लोकेशन परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत माना जायेगा।

विषय संख्या : 23

गाटा सं0-17 से 21 तथा 43 से 47 मोहल्ला-कर्बला, आगामीर, रामतीरथ मार्ग, नरही, हजरतगंज, लखनऊ की 37700 वर्गफुट भूमि के भू-उपयोग को ''पार्क एवं खुला स्थल/हरित पट्टी'' से ''आवासीय'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

प्रश्नगत प्रकरण में गत बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में भू-स्वामित्व इत्यादि के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, लखनऊ के स्तर से परीक्षण आख्या प्राप्त हुई है, जबकि प्रकरण का परीक्षण जिलाधिकारी के स्तर से किया जाना था। अतः सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भू-स्वामित्व आदि का परीक्षण जिलाधिकारी, लखनऊ के स्तर से होने के पश्चात् प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

<u>विषय संख्या : 24</u>

सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शनी योजना के सेक्टर-बी में स्थित ''फैसिलिटीज एवं बिल्डिंग सेन्टर'' हेतु आरक्षित कुल 8080.00 वर्गमी0 भूमि के भू-उपयोग को ''आवासीय'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड स्थित प्रियदर्शनी योजना के सेक्टर-बी में स्थित ''फैसिलिटीज एवं बिल्डिंग सेन्टर'' हेतु आरक्षित कुल 8080.00 वर्गमी0 भूमि के भू-उपयोग को ''आवासीय'' में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए तद्नुसार योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की गई।

<u>विषय संख्या : 25</u>

श्रम विहार योजना के अन्तर्गत आवंटित साइट एण्ड सर्विसेज भूखण्डों के निबन्धन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर भविष्य में निर्मित की जाने वाली एक्सप्रेस-वे परियोजना तथा मेट्रो-रेल परियोजना की सम्भावना का परीक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

<u>विषय संख्या : 26</u>

ग्राम-मुतक्कीपुर व अल्लूनगर डिगुरिया, जिला-लखनऊ की भूमि को 'नगर केन्द्र (व्यवसायिक)' भू-उपयोग से 'आवासीय' भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव के विस्तृत परीक्षण हेतु निम्नवत् उप समिति का गठन किया गया:-

1. सचिव, ल0वि0प्रा0 - अध्यक्ष
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 अथवा उनके प्रतिनिधि जो कि सहयुक्त नियोजक के स्तर से कम न हो। - सदस्य
3. नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 - सदस्य/संयोजक

उप समिति की आख्या के साथ प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 27 — अलीगंज सेक्टर-सी0एस0 में बांस-बल्ली व्यवसायी को आवंटित भूखण्ड पर व्यवसायिक निर्माण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा यह मत स्थिर हुआ कि शासनादेश संख्या-386/आठ-3-12-32एलयूसी/2011 दिनांक 07.02.12 द्वारा जारी निर्देशों से प्राधिकरण को वित्तीय क्षति होगी, अतः उक्त आदेश पर पुनर्विचार हेतु शासन से अनुरोध किया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि इस तथ्य की भी जांच कराई जाय कि स्थल पर बांसबल्ली उपयोग से इतर व्यावसायिक उपयोग में मानचित्र किन परिस्थितियों में स्वीकृत किये गये?

विषय संख्या : 28 — प्रियदर्शनी योजना के अन्तर्गत सोपान इन्क्लेव बहुमंजिली आवासीय योजना का डिजाइन, निर्माण एवं विकास कार्य के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रियदर्शनी योजना के अन्तर्गत सोपान इन्क्लेव बहुमंजिली आवासीय योजना के अन्तर्गत 2बीएचके के 192, 3बीएचके के 52, एल0आई0जी0 के 32 तथा ई0डब्लू0एस0 के 32 फ्लैट्स के निर्माण की योजना पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि 2बीएचके तथा 3बीएचके हेतु पूर्व में प्राप्त पंजीकरण के सापेक्ष फ्लैट्स की संख्या को कम करने के उपरान्त अवशेष फ्लैट्स हेतु पंजीकरण खोला जाय।

विषय संख्या : 29 — प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे चिकित्सा भत्ते की दर में संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय : — सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्तमान समय में मिल रहे चिकित्सा भत्ता रू0 150/- प्रतिमाह के स्थान पर रू0 300/- प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 30 — मृतक आश्रित संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मृतक आश्रित संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक में 20 प्रतिशत की वृद्धि (समूह-ग में रू0 5640/- के स्थान पर रू0 6,768/- तथा समूह-घ में रू0 4740/- के स्थान पर रू0 5,688/-) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 31 श्री हेमेन्द्र कुमार, सुपरवाइजर की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित प्रस्ताव।

निर्णय : श्री हेमेन्द्र कुमार, सुपरवाइजर द्वारा चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रू0 2,64,888.00 के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 32 स्व0 श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, अनुचर की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय : स्व0 श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, अनुचर की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रू0 3,31,075/- के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 33 श्री आनन्द कुमार मिश्रा, विद्युतकार की पत्नी के चिकित्सा पर किये गये व्यय की धनराशि के समायोजन की औचपारिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : श्री आनन्द कुमार मिश्रा, विद्युतकार की पत्नी के चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रू0 4,59,009.00/- का अग्रिम भुगतान विशेष परिस्थितियों में किये जाने के उपरान्त समायोजन की औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 34 लखनऊ विस्तारित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत महायोजना के अभाव में मानचित्र स्वीकृति की नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ विस्तारित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत महायोजना के अभाव में मानचित्र स्वीकृति हेतु तैयार की गई नीति/मार्गदर्शक सिद्धान्तों को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर 30 दिन के अन्दर जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित कर लिये जाये। तत्पश्चात् प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर सुनवाई के उपरान्त विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।।

<u>विषय संख्या : 35</u>

हरदोई रोड स्थित यूनिटी कालेज के मानचित्र के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह अनुभव किया गया कि प्रस्ताव तथ्यपरक नहीं है, अतः यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की आगामी बैठक में सम्पूर्ण तथ्यों के साथ विस्तृत एवं सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा यह भी परीक्षण किया जाय कि पूर्व में हरदोई रोड पर यूनिटी कालेज हेतु स्वीकृत किये गये मानचित्र में किसी तथ्य का मिथ्या निरूपण तो नहीं किया गया है?

<u>विषय संख्या : 36</u>

सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना (जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार योजना) के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 12 ग्रामों एवं अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के 09 ग्रामों के कृषकों को जीवन-यापन की समस्या के दृष्टिगत जीवकोपार्जन हेतु प्राथमिकता पर चबूतरों का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध नें।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना (जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार योजना) के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित 12 ग्रामों एवं अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के 09 ग्रामों के कृषकों को जीवन-यापन की समस्या के दृष्टिगत जीवकोपार्जन हेतु प्राथमिकता पर चबूतरों का आवंटन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

<u>विषय संख्या : 37</u>

लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0लि0 द्वारा विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप के अंश भाग के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0लि0 की हाईटेक टाउनशिप के मदरसिटी भाग में 'वाहन क्रय-विक्रय केन्द्र' भू-उपयोग की 15.071 हे0 एवं 'सामाजिक/सांस्कृतिक/शोध संस्थान एवं सेवायें' भू-उपयोग की 87.47 हे0 भूमि के भू-उपयोग को निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लेकर 'आवासीय' में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा यह भी निर्देशित किया गया कि इस भाग में अवैध रूप से निर्मित किये जा रहे विभिन्न भवनों की एक अद्यावधिक स्टेट्स रिपोर्ट 01 सप्ताह के अन्दर तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।

<u>विषय संख्या : 38</u>

मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड द्वारा ग्राम-सरसवां में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मेसर्स ओमेक्स लिमिटेड द्वारा ग्राम-सरसवां में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को स्थगित करते हुए यह निर्देश दिये गये कि सर्वप्रथम इस तथ्य का विधिक परीक्षण कराया जाय कि ज्वाइन्ट-डेवलपमेन्ट राइट्स के तहत् क्रय की गई भूमि पर आवेदक कम्पनी/संस्था का भू-स्वामित्व सिद्ध होता है अथवा नहीं?

<u>विषय संख्या : 39</u>

मानचित्र स्वीकृति के समय मैकेनाइज्ड पार्किंग को स्थल पर सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र के साथ जमा कराये जाने वाली प्रतिभूति धनराशि के निर्धारण के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृति के समय मैकेनाइज्ड पार्किंग को स्थल पर सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ-पत्र के साथ रू0 1,15,000/- (रूपये एक लाख पन्द्रह हजार मात्र) प्रति कार की दर से प्रतिभूति धनराशि केवल एफ0डी0आर0 के रूप में जमा कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह एफ0डी0आर0 प्राधिकरण के पक्ष में मानचित्र की वैधता अवधि अथवा मानचित्र हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवधि, जो पहले हो, हेतु बंधक रखी जायेगी।

<u>विषय संख्या : 40</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बहुमंजिले भवनों एवं अन्य विशिष्ट परियोजनाओं के निर्माण एजेंसियों को मोबलाइजेशन अग्रिम भुगतान हेतु नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि विशिष्ट परियोजनाओं के सम्बन्ध में मोबलाइजेशन अग्रिम अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के पूर्वानुमोदन के उपरान्त ही उपलब्ध कराया जाय।

विषय संख्या : 41

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित भूखण्डों पर निर्माण में विलम्ब होने पर देय अनिर्माण शुल्क (लेवी) से उ0प्र0 सरकार के कर्मचारियों/केन्द्र सरकार के कार्मिकों को पत्नी के नाम आवंटित भूखण्ड पर देय लेवी से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 42

विवेकानन्दपुरी आवासीय योजना में प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों/फ्लैटों को फ्री-होल्ड किये जाने की नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में बहुमंजिलें फ्लैट्स के फ्रीहोल्ड के सम्बन्ध में अपनाई जा रही नीति के दृष्टिगत करते हुए सुविचारित टिप्पणी के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

विषय संख्या : 43

अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत स्थित भूमि खसरा संख्या-199/1 के क्षेत्रफल 2-16-0-0 बीघा ग्राम-फतेहपुर, परगना, तहसील व जिला-लखनऊ में से, मन्दिर के क्षेत्रफल को पृथक करते हुए अवशेष क्षेत्रफल का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया वर्तमान उपयोग के सम्बन्ध में स्थलीय रिपोर्ट के साथ सुविचारित प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या : 44

विकासदीप भवन छितवापुर में राष्ट्रीय बचत निदेशालय, रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स व सामूहिक बीमा निदेशालय के कार्यालयों हेतु आवंटित चतुर्थ, पंचम व छठे तल की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव राष्ट्रीय बचत निदेशालय, सामूहिक बीमा निदेशालय एवं रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स द्वारा वर्ष 1996 में जमा की गई धनराशि की पुष्टि के सम्बन्ध में पुनः परीक्षण हेतु स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 45 लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 18.05.2010 के विषय संख्या-15 पर स्वीकृत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सामाजिक सुविधायें, उपयोगितायें, सेवायें (संस्थागत) के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले भूखण्डों के आवंटन हेतु नियमावली, 2010 में आंशिक संशोधन विषयक।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि संशोधित नियमावली के अनुसार आरक्षित भू-मूल्य भविष्य में नियमानुसार आवंटित की जाने वाली सम्पत्तियों पर लागू होगा।

विषय संख्या : 46 जानकीपुरम् योजना के ऐसे भूखण्ड, जिनमें धनराशि कम पाई गई थी, को नियमितीकरण करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए निम्नवत् निर्देश दिये गयेः-

1. सी0बी0आई0 जांच से प्रभावित समस्त भूखण्डों को सूचीबद्ध किया जाय।
2. चूंकि इन समस्त भूखण्डों का आवंटन/निबन्धन दुरभि-संधि के तहत् कूट-रचित रूप से किया गया है, अतः इनके निबन्धन को निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।
3. प्रश्नगत भूखण्डों पर मानचित्र स्वीकृति की कार्य्वाही न की जाय तथा यदि पूर्व में मानचित्र स्वीकृत कर दिये गये है, तो उन्हें निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।
4. इन भूखण्डों के पुनः क्रय-विक्रय को रोकने हेतु इनकी सूची का प्रकाशन समाचार पत्रों में इस आशय से कराया जाय कि यह भूखण्ड दुरभि-संधि के तहत् कूट-रचित आधार पर आवंटित है तथा इनके निरस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

विषय संख्या : 47

मानसरोवर योजना विस्तार, सेक्टर-ओ के अन्तर्गत प्रस्तावित 4000 वर्ग मी0 के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड की अनुपलब्धता पर 'हास्पिटल' हेतु आरक्षित भूमि में 'आवासीय' भूखण्ड के सृजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

चूंकि हॉस्पिटल हेतु आरक्षित भूखण्ड एवं प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग के भूखण्ड समान लोकेशन पर स्थित है, अतः सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मानसरोवर योजना विस्तार, सेक्टर-ओ के अन्तर्गत हास्पिटल हेतु आरक्षित 8000 वर्गमीटर में से 4000 वर्ग मी0 के आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) भूखण्ड के सृजन हेतु योजना के तलपट मानचित्र में संशोधन के लिए शासनादेश संख्या-2438/9-आ-3-98-60एलयूसी/96 दिनांक 13.10.98 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 में निहित प्रक्रिया के समान जनसाधारण से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 48

प्राधिकरण की सम्पत्तियों के आवंटियों के उत्तराधिकार निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा सम्पत्तियों के आवंटियों के उत्तराधिकार निर्धारण हेतु समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए नियमावली बनाने हेतु उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 लखनऊ को अधिकृत किया गया।

विषय संख्या : 49

गोमती नगर आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत अनार्जित भूमि खसरा संख्या-952/3 स्थित ग्राम-उजरियांव की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

विस्तृत परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 50

भूमि खसरा संख्या-85 पी, ग्राम-विजयीपुर (गोमती नगर योजना भाग-2) पर निर्मित सचिन सुर्खी उद्योग के निर्माणों एवं भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

भूमि खसरा संख्या-85 पी, ग्राम-विजयीपुर (गोमती नगर योजना भाग-2) पर निर्मित सचिन सुर्खी उद्योग के निर्माणों एवं भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त करते हुए निर्देशित किया गया है कि पक्ष को उसके द्वारा जमा की गई धनराशि नियमानुसार ब्याज सहित वापस कर दी जाय।

विषय संख्या : 51 — बहुमंजिले भवनों एवं विशिष्ट परियोजनाओं के निर्माण कार्यो के निविदादाताओं की पात्रता हेतु न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।

अनु0वि0सं0 : 01 — प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक से सम्बन्धित परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि।

निर्णय : — परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी।

अनु0वि0सं0 : 02 — चक गंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-895/आठ-1-13-40विविध/2013 दिनांक 09.04.2013 के माध्यम से शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में लखनऊ महायोजना-2021 व विस्तारित विकास क्षेत्र हेतु प्रस्तावित महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : — सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा चक गंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या - 895/आठ-1-13-40विविध/2013 दिनांक 09.04.2013 के माध्यम से शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में लखनऊ महायोजना-2021 व विस्तारित विकास क्षेत्र हेतु प्रस्तावित महायोजना में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा मिश्रित भू-उपयोग हेतु जोनिंग रेगुलेशन एवं भवन निर्माण मानक तैयार कर इन्हें शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के लिये प्रस्तावानुसार उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में गठित समिति को अधिकृत किया गया।

अनु0वि0सं0 : 03 — प्राधिकरण की प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग-1 में अर्जित भूमि के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में आ रही समस्या के सम्बन्ध में।

निर्णय : — समयाभाव के कारण प्रस्ताव पर विचार-विमर्श न हो सका।

अनु0वि0सं0 : 04 कानपुर रोड योजना में अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों को जीविकोपार्जन के वैकल्पिक व्यवस्था हेतु व्यावसायिक प्लेटफार्म आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना में अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों को जीविकोपार्जन के वैकल्पिक व्यवस्था हेतु व्यावसायिक प्लेटफार्म लाटरी के माध्यम से आवंटित किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनु0वि0सं0 : 05 ग्राम-सेमरागढ़ी, सीतापुर रोड, लखनऊ की भूनि खसरा सं0-201, 204, 205, 218, 220, 222 एवं 223 का भू-उपयोग ''आवासीय'' से ''सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं (डेन्टल कालेज)'' में परिवर्तित किये जाने के सन्बन्ध में।

निर्णय : प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या-9692/एम0बी0/2012 में समय-समय पर दिये गये निर्देशों तथा तद्क्रम में शासनादेश सं0-1061(1)/आठ-3-13-09रिट/12 दिनांक 21.05.2013 को संज्ञान में लिया गया। शासनादेश दिनांक 21.05.2013 में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-443/ओएसडी/13 दिनांक 03.06.2013 द्वारा अपर जिलाधिकारी (नगर-टी0जी0) की स्थलीय आख्या का अवलोकन किया गया। स्थलीय आख्या में अपर जिलाधिकारी द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है:-

1. मौके पर प्रश्नगत भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण हुआ है तथा गेट लगा है, जो कहीं-कहीं पर टूटी है। भूमि के कुछ भाग पर एक मंजिल तक का अधूरा निर्माण कार्य हुआ है।

2. उक्त भू-भाग तक पहुँचने के लिए मुख्य मार्ग से एक सड़क जो कि गांव सेमरागौढ़ी को जाती है पर स्थित है जिसकी दूसरी लगभग 908 मी0 है तथा निर्मित मार्ग पक्का है, जिसकी चौड़ाई 9 मी0 से लेकर 6 मी0 तक विभिन्न जगहों पर अलग-अलग है। उक्त रोड के दोनों ओर आवासीय भवन बने हैं तथा कुछ प्लाट खाली पड़े है (अधिशासी अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा साथ में संलग्न है)। उक्त भूमि के

पश्चिम दिशा की ओर गांव की आबादी स्थित है तथा गांव में जाने के लिए यही मुख्य मार्ग है।

3. लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियन्ता के द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा जो वैकल्पिक मार्ग भी प्रकल्पित किये गये है। प्रथम प्रकल्पित मार्ग महर्षि विद्या मन्दिर की भूमि से होते हुए गुजरता है, जिसमें महर्षि विद्या मन्दिर की भूमि तथा निजी मकान एवं कुछ निजी भूखण्ड आ रहे है।

4. द्वितीय वैकल्पिक मार्ग महर्षि विद्या मन्दिर के दूसरी ओर किनारे की भूमि से प्रस्तावित है, इस प्रस्तावित मार्ग पर महर्षि विद्या मन्दिर की भूमि तथा कुछ निजी मकान एवं प्लाट आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के द्वारा तैयार किया गया नजरी नक्शा एवं आख्या सहसंलग्न है।

5. इस सम्बन्ध में महर्षि विद्या मन्दिर के प्रबन्धक श्री अनूप श्रीवास्तव से दूरभाष पर वार्ता की गई, उनके द्वारा अपने विद्यालय से मार्ग देने पर कोई स्पष्ट मन्तव्य नहीं दिया गया तथा उनके द्वारा कहा गया कि इस सम्बन्ध में उनके अध्यक्ष श्री अजय प्रकाश द्वारा ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा। जो कि वर्तमान में लखनऊ से बाहर है। अध्यक्ष की अनुमति/सहमति के आधार पर ही कोई निर्णय लिये जाने की बात कहीं गयी।

6. अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि महायोजना 2021 में प्राविधानित एक मार्ग जो कि 30 मी0 चौड़ा है, वह एक काल्पनिक मार्ग है, जिसके विषय में न तो भू-अर्जन किया गया है तथा न ही अन्य किसी प्रकार से इसके निर्माण हेतु कोई कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। उक्त काल्पनिक मार्ग आबादी के बीच प्रकल्पित किया गया है वर्तमान में वहॉ आवासीय भवन बने है।

अपर जिलाधिकारी की उपर्युक्त आख्या पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि पूर्व में प्रकरण में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 द्वारा दिये गये अभिमत के अनुसार डेन्टल कालेज की स्थापना हेतु 24 मीटर चौड़ा मार्ग होना आवश्यक होगा, जो कि अपर जिलाधिकारी द्वारा स्थल से उपलब्ध कराई गई आख्या में प्रथम विकल्प के रूप में महर्षि विद्या मन्दिर की भूमि के मध्य से ही प्रस्तावित हो स्कता है। आई0डी0

सिंह मेमोरियल इन्स्टीट्यूट की अध्यक्षा, श्रीमती नयनतारा सिंह द्वारा दिनांक 07.06.2013 को प्रस्तुत पत्र में इस मार्ग से प्रस्तावित डेन्टल कालेज की एप्रोच के सम्बन्ध में विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विस्तृत परिचर्चा की गई तथा यह मत स्थिर हुआ कि जिला प्रशासन एवं प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा 15 दिवस के अन्दर महर्षि विद्या मन्दिर के प्रबन्धन तंत्र से इस मार्ग हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने पर सहमति प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जाये एवं उनकी सहमति प्राप्त होने पर इस मार्ग के निर्माण/विकास हेतु अन्य व्यक्तियों की भूमि को अर्जित करते हुए 24 मी0 चौड़े मार्ग का निर्माण प्राधिकरण की अवस्थापना निधि से करते हुए सामाजिक एवं लोकमहत्व के दृष्टिगत प्रश्नगत स्थल के भू-उपयोग को ''आवासीय'' से ''सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं (डेन्टल कालेज)'' में परिवर्तित किये जाने हेतु उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

<u>अनु0वि0सं0 : 06</u>

मे0 ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम बाघामऊ में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा मे0 ए0एन0एस0 डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम बाघामऊ में प्रस्तावित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु 10.864 हे0 भूमि को अधिग्रहित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

<u>अनु0वि0सं0 : 07</u>

भूमि खसरा सं0-173 ग्राम-मलेशेमऊ क्षेत्रफल 3381 वर्गमी0, समायोजित भूमि, के सम्बन्ध में मा0 लोकायुक्त द्वारा दिनांक 08.4.2011 को दिये गये निर्देश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया

<u>अनु0वि0सं0 : 08</u>

रश्मि खण्ड, शारदा नगर योजना के अन्तर्गत ''फैसिलिटी'' भू-उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्ड में से 04 ''आवासीय'' भू-उपयोग के भूखण्डों के सृजन के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया

अनु0वि0सं0 : 09	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में पंजीकरण के उपरान्त लाटरी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् रिफण्ड/निरस्तीकरण से रिक्त तथा ले-आउट प्लान के पुनरीक्षण में सृजित अतिरिक्त सम्पत्तियों को नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में पंजीकरण के उपरान्त लाटरी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् रिफण्ड/निरस्तीकरण से रिक्त तथा ले-आउट प्लान के पुनरीक्षण में सृजित अतिरिक्त सम्पत्तियों को नीलामी द्वारा निस्तारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
अनु0वि0सं0 : 10	कुर्सी रोड पर गुडम्बा के निकट ग्राम-बरखुरदारपुर की खसरा सं0-191 एवं 111/4 तथा ग्राम-मिश्रपुर की खसरा सं0-563, 564, 565, 567, 568 एवं 569 के कुल 16.47 एकड़ भूमि पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा स्थापित 'एलपीजी बाटलिंग प्लांट' हेतु स्थल के भू-उपयोग को लखनऊ महायोजना-2021 में 'औद्योगिक (हल्के/लघु उद्योग)' से 'औद्योगिक (एलपीजी रिफिलिंग प्लांट)' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा कुर्सी रोड पर गुडम्बा के निकट ग्राम-बरखुरदारपुर की खसरा सं0-191 एवं 111/4 तथा ग्राम-मिश्रपुर की खसरा सं0-563, 564, 565, 567, 568 एवं 569 के कुल 16.47 एकड़ भूमि पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 द्वारा स्थापित 'एलपीजी बाटलिंग प्लांट' हेतु स्थल के भू-उपयोग को लखनऊ महायोजना-2021 में 'औद्योगिक (हल्के/लघु उद्योग)' से 'औद्योगिक (एलपीजी रिफिलिंग प्लांट)' में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
अनु0वि0सं0 : 11	लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित अवधि के लिए पट्टे पर दिये गये भूखण्डों को बिना नवीनीकरण कराये मूल पट्टेदार या उनके उत्तराधिकारियों द्वारा पट्टा अवधि में विक्रय कर दिये जाने के बाद क्रेता के पक्ष में नामान्तरण/पट्टे के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।
निर्णय :	समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनु0वि0सं0 : 12	डा0 भीमराव अम्बेडकर विकास एवं सेवा संस्थान को गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या-5, 6, 25, 26 क्षेत्रफल 2074 वर्गमी0 के पुनर्मूल्यांकन के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर विकास एवं सेवा संस्थान के पुनर्मूल्यांकन के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए पूर्व में इस संस्थान के साथ किये गये रजिस्टर्ड अनुबन्ध के अनुसार नियमानुसार धनराशि जमा कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।
अनु0वि0सं0 : 13	मे0 रितनन्द बलवेद, एजूकेशनल फाउण्डेशन (एमिटी यूनिवर्सिटी) के लखनऊ कैम्पस हेतु ग्राम-मल्लौर, जिला-लखनऊ की 30.18 एकड़ के भू-उपयोग को ''आवासीय'' से ''सामुदायिक सुविधाएं (शैक्षिक)'' में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।
अनु0वि0सं0 : 14	श्रीमती लक्ष्मी देवी, अवर वर्ग सहायक की चिकित्सा पर किये गये व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।
निर्णय :	श्रीमती लक्ष्मीदेवी, अवर वर्ग सहायक की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि रू0 2,41,417/- के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अष्टभुजा प्रसाद तिवारी)
सचिव एवं उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(संजीव सरन)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।